

क्रमांक/स्था.2/ई/बीईओ/पदो./24/2011/317

भोपाल,दिनांक 2

3/12

:: आदेश ::

विभागीय भर्ती तथा पदोन्नति नियम-1982 एवं नियम में राजपत्र दिनांक 21.03.2007 द्वारा विद्ये गये संघोशन तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति), नियम, 2002 में निहित प्रावधनों के अर्न्तगत आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश की अध्यक्षता में सम्पन्न विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 03.10.2011 में समिति की अनुशसा के आधार पर निम्नांकित प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय वेतनमान 9300-34800 ग्रेड-पे 3600 (तदस्थानी पूर्व वेतनमान 5500-175-9000) को विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी वेतनमान 9300-34800 ग्रेड पे 4200 (तदस्थानी पूर्व वेतनमान 6500-200-10500) के पद पर पदोन्नत करने की अनुशसा की गई है ।

2. संचालनालय के आदेश क्र0 स्था02/ई/बीईओ./पदो./24/2011/1683-1684 दिनांक 18/11/2011 द्वारा 116 प्रधानाध्यापको की विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति आदेश जारी किये गये थे। वर्तमान में विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के रिक्त हुये पदो पर प्रशासकीय अनुमोदन के अनुक्रम में इन पदोन्नत लोक सेवको की स्थानापन्न रूप से उनके नाम के सम्मुख कालम क्र08 में अंकित विकास खण्ड में विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर पदस्थापना तत्काल प्रभाव से की जाती है । यह पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रभावशील होगी:-

क्र.	जिले का नाम	प्र.अ. मावि की राज्य स्तरीय पदक्रम सूची दि. 1.4.2009 का स.क्र.	प्रधानाध्यापक का नाम	यूनिक आई डी. कोड	प्रवर्ग	वर्तमान पदस्थापना	पदांकित विकासखण्ड का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सिंगरोली	430-ए	श्री मोहनदास जायसवाल	BT 9864	सामान्य	शा.पू.मा.वि. कर्सुआराजा	सोहागपुर, होशंगाबाद
2	कटनी	432	श्री जे0आर0 द्विवेदी	AN 4459	सामान्य	मा.शा. छिदहाई पिपरिया	बामोरी, गुना
3	नरसिंहपुर	440	श्रीमती लोचन श्रीवास्तव	AS 2518	सामान्य	शा0मा0वि. एम0एल0बी0	हरसूद, खण्डवा
4	सिंगरोली	455-ए	श्री अजनी कुमार वर्मा	BC 6046	सामान्य	शा.पू.मा.वि. बेटहाडांड बरंगवा	नटेरन, विदिशा
5	मन्डसौर	497	श्री शंभू लाल दंडिंग	AQ 7591	अनुसूचित जाति	शा. कन्या मा.वि. नाहरगढ	मनासा, नीमच
6	रीवा	1223	श्री हीरा लाल मांझी	AX 2478	अनुसूचित जनजाति	मा0बि0 अमलिया	गंजबसोदा, विदिशा
7	शहडोल	458	श्री मजू प्रसाद शर्मा	BE 6082	सामान्य	शा.पू.मा.वि. मउ	मझोली, जबलपुर
8	छतरपुर	461	श्री चंदिका प्रसाद शिवहरे	AG 1571	सामान्य	शा. मा. शा.क. दिदवारा	बंडामलहरा, छतरपुर
9	छतरपुर	463	श्री शिव नारायण तिवारी	AG 1573	सामान्य	शा. मा. शा. पठा	पन्ना जिला पन्ना

u



10	सागर	465	श्री प्रकाश दुबे	AX 9328	सामान्य	शा. मा. वि. बा. काकागज	नलखेडु शाजापुर
11	सागर	467	श्री आर० के. श्रीवास्तव	AY 3037	सामान्य	शा. मा. वि. जरुआखेडु	मोमन बडोदिया शाजापुर
12	सागर	470	श्री सी०पी० गोतम	SY 2 491	सामान्य	मा. वि. हुलासीराम	सुसनर, शाजापुर
13	सतना	478	श्री भगतादीन त्रिपाठी	AV 5327	सामान्य	शा. उ. मा. वि. कामता चित्रकूट	कुरवाई विदिशा

3. पदोन्नति में म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के राजपत्र दिनांक 11 जून 2002 में प्रकाशित मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2002 में उल्लेखित आरक्षण प्रावधानों का पालन किया गया है।

उपरोक्त पदोन्नति निम्नांकित शर्तों के अधीन रहेगी :-

- इस पदोन्नति आदेश में प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय के दिनांक 01/04/2009 की स्थिति वाली राज्य स्तरीय पदक्रम सूची के अनुसार सामान्य प्रवर्ग में सरल क्रमांक 478 वरिष्ठता दिनांक 26.01.95 अनुसूचित जाति प्रवर्ग में सरल क्रमांक 497 वरिष्ठता दिनांक 29.04.95 अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग में सरल क्रमांक 1223 वरिष्ठता दिनांक 07.04.98 तक के लोक सेवक शामिल हैं।
- यदि उक्तानुसार वरिष्ठताक्रम/ वरिष्ठता दिनांक के प्रश्चात के प्रधाना अध्यापक माध्यमिक विद्यालय अथवा गलत प्रवर्ग अंकित होने के कारण कोई लोक सेवक पदोन्नत हो गया हो तो उसे कार्यभार ग्रहण न कराते हुये उनकी सेवा पुस्तिका एवं सेवा अभिलेख के आधार पर पूर्ण तथ्यातकम जानकारी से इस कार्यालय को तत्काल अवगत करावे।
- पदोन्नत लोक सेवक के संबध में जिला शिक्षा अधिकारी संबधित के सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर ले कि जिस प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय की विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी पद पर पदोन्नति हेतु अनुशसा की गई है वह पदोन्नति के योग्य है तथा जिस प्रवर्ग से पदोन्नति हेतु अनुशसा की गई है उसी प्रवर्ग का सदस्य है।
- पदोन्नति हेतु अनुशसित लोक सेवक के सेवा अभिलेख से इस बात की भी पुष्टि कर ली जाए कि उनकी पदोन्नति राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची दिनांक 1-04/2009 के आधार पर ही हुई है क्यो कि अन्य पद की वरिष्ठता से इस पदोन्नति का कोई संबध नहीं है।
- पदोन्नति हेतु अनुशसित लोक सेवक के सेवा अभिलेख से यह भी पुष्टि कर ली जाए कि वह स्कूल शिक्षा विभाग का ही प्रधानाध्यापक है न कि अन्य विभाग यथा आदिमजाति कल्याण विभाग अथवा अन्य विभाग का है परन्तु यदि उन्हें स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिवासी विकास विभाग के परस्पर हस्तांतरित सस्थाओं के लिए म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ -44-27/94/20-2 दिनांक 03.01.06 के अन्तर्गत विभाग में मूल वरिष्ठता सहित संविलियन किया गया है और पदोन्नत किया गया है तो वह पदोन्नति का हकदार होगा तथा उसे कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। आदिवासी विकास विभाग से शिक्षा विभाग में जिन लोक सेवकों को संविलियन किया गया है उनकी वरिष्ठता की पुष्टि उनके सेवा अभिलेख एवं सुसंगत संविलियन आदेशों से कर ली जावे। विसंगति की स्थिति होने पर उससे तत्काल संचालनालय को अवगत कराया जाय।
- यदि पदोन्नत लोक सेवक का अर्न्तविभागीय स्थानान्तरण हुआ हो तो उस प्रधानाध्यापक की वरिष्ठता शिक्षा विभाग में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मान्य होगी। यदि किसी पदोन्नत लोक सेवक के संबध में उपरोक्त शर्त की पूर्ति नहीं होती है तो उसे कार्यभार ग्रहण न कराते हुये उसकी पदोन्नति निरस्त करने

सबधो प्रस्ताव अभिलेखीय सबध महित सचालनालय को तत्काल भेज जाव। इसकी सूचना सबधित लोक सेवक को भी दी जाये।

10 समस्त सबधितजिला शिक्षा अधिकारी विभागीय पोर्टल मे उपलब्ध इस आदेश के प्रकाश मे पदोन्नत लोक सेवको को पदस्थापना स्थान/जिले के लिये परीक्षण उपरान्त 03 दिवस की समय-सीमा मे एक तरफा कार्य मुक्त करेगे और पदोन्नति आदेश की प्रति पृष्ठांकित कर उनको व्यक्तिगत स्तर पर तामील करायेगे। कार्यमुक्ति पश्चात पदोन्नत लोक सेवक को 07 दिवस की समय सीमा मे पदभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।


11 कार्यभार ग्रहण काल व्यतीत होने के ठीक 03 दिन पश्चात सभी जिला शिक्षा अधिकारी जिले मे कार्यमुक्त किये गये/पदभार ग्रहण कर चुके पदभार ग्रहण नही करने वाले एवं पदोन्नति अस्वीकार्य करने वाले लोक सेवको की सूचना संचालक लोक शिक्षण को वाहक के हस्ते प्रस्तुत करायेगे ताकि कार्यभार ग्रहण नही करने वाले लोक सेवको की पदोन्नति निरस्त करते हुये प्रतीक्षा सूची से पद पूर्ति की जा सके। इस कार्यमे किसी भी प्रकार की देरी के लिये सबधित पदोन्नत लोक सेवक एवं कार्यमुक्त करने वाले /कार्यभार ग्रहण कराने वाले सबधित जिला शिक्षा अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

12 जो पदोन्नत लोक सेवक पदोन्नति स्वीकार नही करते है उनके सबध मे मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2002की कंडिका 6(15) के अनुक्रम मे पदोन्नत लोक सेवक को ऐसे मामलो मे प्रथम पदोन्नति से इन्कार करने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए या अगली रिक्ति के उदभूत होने तक जो भी पश्चातवर्ती हो पदोन्नति के लिये प्रस्तावित नही किया जावेगा। साथ ही लोक सेवक द्वारा पदोन्नति का लाभ नही लेने की स्थिति में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्र./एफ1-1/1/वेआप्र/99, दिनांक 05.07.2002/23.09.2002 के प्रावधान अनुरूप फीडर पद पर उसे 24 वर्ष की सेवा उपरान्त दिये गये क्रमोन्नत वेतनमान के लाभ की पात्रता नही रहेगी तथा ऐसेप्रकरणो मे वसूली की कार्यवाही की जायेगी। किन्तु ऐसे प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय जिनकी शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर है और पूर्व में व्याख्याता के पद पर पदोन्नत नही हुये हैं, उन्हें यह विकल्प रहेगा कि वह भविष्य में होने वाली व्याख्याता पद पर पदोन्नति के लिए विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर इस पदोन्नति का परित्याग कर सकते हैं। इस स्थिति में उन्हें क्रमोन्नति वेतनमान के लाभ से वंचित नही किया जायेगा। यहाँ पर यह स्पष्ट किया जाता है कि पदोन्नत लोक सेवक को 12 वर्ष की सेवा उपरान्त दिये गये वरिष्ठ वेतनमान के लाभ को पदोन्नति अस्वीकार करने की स्थिति मे भी वापस नही लिया जायेगा।

13 यदि पदोन्नत लोक सेवक निलंबित हो अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जांच/अपराधिक प्रकरण इत्यादि वर्तमान में प्रचलित हो अथवा उसे पदोन्नति/पदस्थापना के सबध मे न्यायालयीन स्थगन इत्यादि का लाभ प्राप्त हो तो ऐसी स्थिति में उसे पदोन्नति पश्चात पदस्थापना स्थान के लिए कार्यमुक्त नही किया जायेगा और संबधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उसके संबध में तथ्यात्मक प्रस्ताव अभिलेख के साथ तत्काल संचालनालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

14 यदि जिले के किसी प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय की वरिष्ठता का हनन हुआ है और वह पदोन्नति से छूट गया है और उसी प्रवर्ग के उससे कनिष्ठ अन्य लोक सेवक पदोन्नत हो गया है तो ऐसी स्थिति में कनिष्ठ लोक सेवक को पदोन्नति की पात्रता नही होगी और ऐसे छूटे हुये वरिष्ठता क्रम में आने वाले लोक सेवक के प्रकरण पर नियमानुसार विचार किया जायेगा। इस विषयक जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी तथ्यात्मक प्रस्ताव के साथ संचालनालय को प्रस्तुत करेगे।

15 पदोन्नति आदेश का गुणानुक्रम ही पदोन्नत पद का वरिष्ठताक्रम रहेगा एवं पदोन्नति आदेश का दिनांक ही पदोन्नत पद की वरिष्ठता तिथि रहेगी। वरिष्ठता के संबध मे कार्यभार ग्रहण करने की तिथि सदर्भ तिथि नही रहेगी।



शिक्षा अधिकारी पदोन्नत लोक सेवक को दी गई अवकाश प्रमाण-पत्र के लिए उत्तरदायी रहेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की कार्रवाई की जायेगी।

अभिलेख अनुसार हर प्रकार से पुष्टि हो जाती है तो उसे कार्यमुक्त करने के लिए प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए ही उसकी वर्तमान पद की पदस्थापना में परिवर्तन हो गया।

18. अवकाश प्रमाण-पत्र जारी होने के बाद आदेश में पदोन्नत लोक सेवक को किसी भी प्रकार का अवकाश प्रमाण-पत्र जारी करने में पूर्व स्वीकृत नहीं किया जायेगा। यदि कोई नव पदोन्नत लोक सेवक चिकित्सा अवकाश प्रमाण-पत्र के अभाव में अवकाश हेतु आवेदन प्रस्तुत करता है तो उसे जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा और इसके अतिरिक्त कोई अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

(अरुण कोचर)

आयुक्त लोक शिक्षण
मध्य प्रदेश

भोपाल, दिनांक 2/3/12

पृ. क्र./स्थ.2/ई.बी.ई.ओ./पदो./24/2011/318
प्रतिलिपि -

1. विजय महायुक्त माननीय मंत्री जी /माननीय राज्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय-भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. आयुक्त जन सम्पर्क म0प्र0 भोपाल की ओर जनहित में सभी प्रमुख समाचार पत्रों में पदोन्नत लोक सेवकों की सूची प्रकाशित कराने के लिये सानुरोध प्रेषित।
5. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
6. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
7. समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, संभाग-मध्यप्रदेश की ओर व्यक्तिगत स्तर से मानीटर करने एवं पालन सुनिश्चित कराने हेतु पालनार्थ।
8. समस्त मुख्य कार्य पालन अधिकारी, मध्यप्रदेश।
9. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर उक्तानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर उक्तानुसार सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
11. सहायक संचालक, स्थापना 3 (स्थानीय) की ओर सूचनार्थ।
12. सहायक संचालक, कम्प्यूटर (स्थानीय) की ओर आज ही आदेश स्कैन कर ई-मेल सभी जिलों करने एवं जारी आदेश को विभागीय वेबसाइट पर रखने हेतु पालनार्थ।
13. समस्त विभागीय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, कार्यालय, मध्यप्रदेश।
14. संबंधित पदोन्नत लोक सेवक

की ओर सूचनार्थ तथा निर्धारित समयवधि में पालनार्थ-।

(अरुण कोचर)
आयुक्त लोक शिक्षण
मध्य प्रदेश